भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी / यू.पी. / 06 / 37 / 2015 / एफ.सी. / 932

दिनॉक: 21-10-15

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

विषय : जनपद अलीगढ़ में पलवल–टप्पल–अलीगढ़ मार्ग (एस0एच0–22ए) किमी0 27.261 की दांयी पटरी पर ग्राम–टप्पल के खसरा संख्या–412 / 2 एवं 851 पर विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0758 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

सन्दभ : अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– पी–39 / 14–2–2015–800(9) / 2015, दिनांक– 15.09.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र का संदर्भ लेते हुए सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव के निरिक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में त्रुटियॉ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित है–

1. प्रस्ताव के भाग–।। में बिन्दु संख्या–5 एवं 6 कार्ययोजना से संबंधित ब्यौरा एवं soil erosion का ब्यौरा स्पष्ट नही है और न ही विवेक से बनाया गया है।
2. प्रस्ताव के भाग–IV की भौतिक प्रति नही लगायी गयी है।
3. पृष्ठ 16 में संलग्न छायाचित्र को देखने से प्रतीत होता है कि कार्य प्रारम्भ कर लिया गया है किन्तु वन विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन से संबंधित कोई रिर्पोट प्रस्तुत नही की गयी है।
4. प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की गणना इको क्लास एवं वानस्पतिक घनत्व के अनुसार प्रस्तुत नही की गयी है।
5. पृष्ठ 53 पर उपलब्ध भूसंदर्भित डिजीटल मानचित्र में प्रस्तावित प्रत्यावर्तन के मुख्य बिन्दुओं को GPS Coordinates के साथ नही उपलब्ध कराया गया है एवं मानचित्र की डिजीटल प्रति .shp file/.kml file में प्रस्ताव के साथ नही प्रस्तुत की गयी है।
6. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन भूमि का भूसंदर्भित डिजीटल मानचित्र .shp file/.kml file में नही प्रस्तुत किया गया है।
7. क्षेत्रफल की गणना ले आउट प्लान एवं मानचित्र के अनुसार नही है, अतः संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव मूल रूप में वापस किया जाता है।

भवदीय,

संलग्नक– मूल प्रस्ताव

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़, उ0 प्र0।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़, उ0 प्र0।
4. क्षेत्रीय प्रबंधक, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, सेक्टर–3, नोएडा–201301।
5. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली ।

20/10/15

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}